



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।



Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-budgethodpwd@gmail.com

पत्रांक:- 4704 / 26 बजट (बाढ़ एवं भूस्खलन)/2024-25

दिनांक:- 05 / 03 / 2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता, (आहरण एवं वितरण अधिकारी)
प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
पिथौरागढ़/अस्कोट/अल्मोडा/रानीखेत/कपकोट/खटीमा/चकराता।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक-5054 (पूँजीगत) बाढ़ एवं भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गों के पुर्ननिर्माण तथा सुधार हेतु आवंटन।

सन्दर्भ:- शासनादेश संख्या I/214743/2024 ई0पत्रावली संख्या -17608 दिनांक 31/5/2024

उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31.05.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या - 22, लेखाशीर्षक-5054-04-337-05-00-53 (पूँजीगत) बाढ़ एवं भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गों के पुर्ननिर्माण मद में मूल बजट प्राविधान रू0 1500.00 लाख के सापेक्ष रू0 1500.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है, शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 में बाढ़ एवं भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गों के पुर्ननिर्माण/मरम्मत मद के अन्तर्गत क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, अल्मोडा/हल्द्वानी/देहरादून के द्वारा धनावंटन हेतु उपलब्ध कराये गये आगणनों की प्राविधिक जांच एवं परीक्षण "प्राविधिक वर्ग" कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के द्वारा किये जाने के उपरान्त प्राविधिक वर्ग के द्वारा संस्तुत धनराशि के कम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में बाढ़ एवं भूस्खलन योजना के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार कुल रू0 304.61 लाख (रू0 तीन करोड़ चार लाख इकसठ हजार मात्र) की धनराशि इंगित शर्तों के अन्तर्गत आवंटित की जाती है।

क्र0सं0	अनुभेदित / स्वीकृत कार्य का नाम	खण्ड का नाम	विधान सभा क्षेत्र का नाम	आगणन की लागत	प्राविधिक वर्ग की जाँचोपरान्त आगणन की लागत	वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटन	एलोटमेन्ट आई0डी0 सं0
1	2	3	4	5	6	7	
1	बाढ़ एवं भूस्खलन मद के अन्तर्गत रा0ई0का0 नौगांव -काकडीघाट की क्षतिग्रस्त दीवार का पुर्ननिर्माण कार्य।	प्र0ख0 अल्मोडा	सोमेश्वर	10.28	10.06	10.06	H25030220017
2	बाढ़ एवं भूस्खलन मद के अन्तर्गत पिथौरागढ़-चण्डाक-बास-आंवलाघाट मोटर मार्ग में क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवारों का पुर्ननिर्माण कार्य।	प्र0ख0 पिथौरागढ़	44-पिथौरागढ़	46.92	46.92	46.92	H25030220018
3	बाढ़ एवं भूस्खलन मद के अन्तर्गत सिमलगांव-सुरईखेत मोटर मार्ग के किमी0 4 में क्षतिग्रस्त दीवार का पुर्ननिर्माण कार्य।	नि0 ख0, रानीखेत	50-रानीखेत	4.12	4.12	4.12	H25030220019
4	बाढ़ एवं भूस्खलन मद के अन्तर्गत लीली बाजार से लीली गांव मोटर मार्ग के किमी0 06 एवं किमी0 07 में मोटर मार्ग का सुरक्षात्मक कार्य।	नि0 ख0, कपकोट	46- कपकोट	15.99	15.99	15.99	H25030220020
5	बाढ़ एवं भूस्खलन मद के अन्तर्गत ओखलधार पपों रताईस मोटर मार्ग के किमी0 05 एवं किमी0 06 में क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग का सुरक्षात्मक कार्य।	नि0 ख0, कपकोट	46- कपकोट	19.98	19.98	19.98	H25030220020
6	बाढ़ एवं भूस्खलन मद के अन्तर्गत तवाघाट- नारायण आश्रम मोटर मार्ग के किमी0 11.00 से किमी0 37.00 में क्षतिग्रस्त दीवारों का पुर्ननिर्माण कार्य।	नि0 ख0, अस्कोट	42-धारचूला	14.48	14.48	14.48	H25030220021
7	बाढ़ एवं भूस्खलन मद के अन्तर्गत नारायण आश्रम मोटर मार्ग से रिमझिम बैंकु तन्तागांव रौंते मोटर मार्ग में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य।	नि0 ख0, अस्कोट	42-धारचूला	18.66	18.66	18.66	H25030220021
8	बाढ़ एवं भूस्खलन मद के अन्तर्गत धारचूला में बलुवाकोट तोक गागरा गौरागांव मोटर मार्ग के किमी0 1 में क्षतिग्रस्त दीवार, पक्की नाली व वायर क्रेट का कार्य। (लम्बाई 5.00 किमी0)	नि0 ख0, अस्कोट	धारचूला	25.76	25.76	25.76	H25030220021
9	बाढ़ एवं भूस्खलन मद के अन्तर्गत कालाढूंगी में राज्य मार्ग सं0 41 के किमी0 33 से निगम नाला मार्ग के विभिन्न भागों में क्षतिग्रस्त दीवारों के पुर्ननिर्माण कार्य।	नि0 ख0, हल्द्वानी	60-कालाढूंगी	98.97	88.47	88.47	H25030220022

क्रमशः पृष्ठ संख्या-2 पर

4



10	बाढ़ एवं भूस्खलन मद के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत एस0एच0-70 के किमी0 43.00 में क्षतिग्रस्त भाग पर यातायात सुचारू व मार्ग के पुनर्निर्माण का कार्य।	नि0 ख0, खटीमा	70-खटीमा	99.67	55.36	55.36	H25030220023
11	बाढ़ एवं भूस्खलन मद के अन्तर्गत नायली से किस्तूड मोटर मार्ग के किमी0 01 में क्षतिग्रस्त दीवार व स्लोप प्रोटेक्शन का कार्य।	अ0 ख0 चकराता	चकराता	4.81	4.81	4.81	H25030220024
योग :-				359.64	304.61	304.61	

आवंटन की शर्तें:- (1) वित्तीय वर्ष 2024-25 में बाढ़ एवं भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गों के पुर्ननिर्माण मद के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार कुल आवंटित धनराशि, रू0 304.61 लाख का व्यय स्वीकृत कार्य में कार्य की आवंटन लागत की सीमान्तर्गत एवं नियमानुसार व्यय की जायेगी, किसी भी दशा में आवंटित धनराशि अन्य कार्यों/मदों में व्यय नहीं की जायेगी और न ही कार्यवार आवंटन से अधिक के वित्तीय दायित्व सृजित किये जायेंगे।

(2) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं के द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवार स्वीकृत/अनुमोदित कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रचलित तकनीकी मानकों के अन्तर्गत दिनांक 15.03.2025 से पूर्व नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं के द्वारा बाढ़ एवं भूस्खलन मद में प्राप्त आवंटन के सापेक्ष सक्षम प्राधिकारियों के स्तर से आवश्यक तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते हुए स्वीकृत कार्यों का सम्पूर्ण विवरण यथा: कार्य का स्थलीय फोटोग्राफ, कार्य की पाक्षिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र, पाक्षिक रूप से (माह की 5 तारीख तक) इस कार्यालय को अनिवार्यतः प्रेषित किया जायेगा।

(4) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं के द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवार अब आवंटित धनराशि के उपयोग में वित्तीय मितव्ययता का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के साथ-साथ बाढ़ एवं भूस्खलन योजना के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत कार्य किसी भी दशा में अगले वित्तीय वर्ष हेतु अपूर्ण नहीं रखे जायेंगे और न ही कार्यों से सम्बन्धित वित्तीय दायित्व अगले वित्तीय वर्ष में भुगतान हेतु लम्बित रखे जायेंगे। स्वीकृत कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण न कराये जाने तथा कार्यों के वित्तीय दायित्व अगले वित्तीय वर्ष हेतु अवशेष रखे जाने की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता अवशेष वित्तीय दायित्वों हेतु स्वयं पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे, जिनके विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी के स्तर से आवश्यक कठोरतम अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) आवंटित धनराशि अन्य कार्यों/प्रयोजन में व्यय किये जाने अथवा व्ययवर्तन किये जाने, कार्यवार आवंटन से अधिक का व्यय किये जाने/अतिरिक्त दायित्व सृजित किये जाने, ड्रुप्लीकेट भुगतान किये जाने तथा नियमविरुद्ध व्यय किये जाने की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी माने जायेंगे जिनके विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी के स्तर से कठोरतम अनुशासनात्मक व दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7) कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय तथा कार्य कराते समय टैण्डर विषयक समस्त सुसंगत नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (संशोधित) में निहित समस्त शर्तों/वित्तीय प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं के द्वारा योजनान्तर्गत प्रस्तावित/चयनित कार्यों की दोनो स्टेजों (Stages)में अर्थात् कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अनिवार्यतः फोटोग्राफी एवं यथासंभव वीडियोग्राफी भी सुनिश्चित की जायेगी तथा सम्बन्धित कार्यों का पुर्ननिर्माण/सम्मत किये जाने के दौरान अधीक्षण अभियन्ता का स्थलीय निरीक्षण भी कराया जाना आवश्यक होगा।

(9) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता की जांच एवं किये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन, रेण्डम (Random)आधार पर सम्बन्धित जिलाधिकारी, विभागीय स्तर एवं शासन स्तर से किया जाना प्रस्तावित है।

(10) उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31/5/2024 में निहित समस्त शर्तों / वित्तीय प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-22, लेखाशीर्षक- 5054 सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय= 04 जिला तथा अन्य सडकें- 337 सडक निर्माण कार्य- 05 बाढ़ एवं भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गों का पुर्ननिर्माण- 00- 53 वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न:- 1-एलोटमेन्ट आई0डी0 सं0

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
वित्त नियंत्रक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, पो0ओ0-सब पोस्ट मास्टर, पेट्रोलियम संस्थान कौलागढ़ देहरादून।
- (2) सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- (3) मुख्य अभियन्ता, (नियोजन/तकनीकी वर्ग) कार्य0 प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून।
- (4) मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून / अल्मोडा / हल्द्वानी।
- (5) वरिष्ठ स्टाफ आफिसर(नियोजन) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, देहरादून।
- (6) अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम/तृतीय/चतुर्थ/नवम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोडा / पिथौरागढ़ / रुद्रपुर / देहरादून।
- (7) मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोडा / रानीखेत / कपकोट / पिथौरागढ़ / अस्कोट / खटीमा / चकराता।

संलग्न:- डी0डी0ओ0वार एलोटमेन्ट आई0डी0 सं0 (Allotment ID).....।

वित्त नियंत्रक

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।